अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लालाराम बनाम किशनलाल व अन्य

किस्म मुकदमा –225 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण संख्या : 2024/233 (किशनगढ)

श्री आशीष जैन

लालाराम बनाम किशनलाल वगैरह (2024/233)

07.10.2024 यह अपील श्री आशीष जैन एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 206/2024 में पारित आदेश दिनांक 9.9.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते ओदशार्थ दिनांक 09.10. 2024 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

09.10.2024 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 07.10.2024 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 09.09.2024 की पालना को स्थगित नहीं फरमायी गयी तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नही हो सकेगी ऐसी स्थिति में परिक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति ता फैसला अपील स्थगित फरमाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 की पालना व प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित फरमायी जाकर विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 1993 आर0आर0डी0 पेज संख्या 206, 2010 आर0बी0जे0 पेज संख्या 178, 1998 आर0आर0डी0 पेज संख्या 206, 1998 आर0आर0डी0 पेज संख्या 520 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 09.09. 2024 को प्रार्थना पत्र 151 जा0दी0 पर सुन कर नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट विवादित आराजीयात का सहखातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में सामान्य परिस्थितियों में पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.

लगातार–

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लालाराम बनाम किशनलाल व अन्य
किस्म मुकदमा –225 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955
प्रकरण संख्या : 2024/233 (किशनगढ)

764

लगातार.... काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर